पुस्तकालय

1

3332
5/7/14

सत्यमेव जयते

असंशोधित

30 JUN 2014

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
वै०स०प्रे०सं० 232 तिथि 3-7-14

टर्न-3/30.6.2014/बिपिन ...

तारांकित प्रश्न सं0: 12 (श्री प्रदीप कुमार)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि काशीचक थाना सरकारी गैर-मजरूआ जमीन पर जनसहयोग से निर्मित पक्का भवन में कार्यरत है एवं पुलिसकर्मियों को रहने के लिए खपरैल निर्मित बैरक है जिसमें दो कमरे एवं बरामदा है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि फिर भी आवश्यक कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं ।

2. पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा काशीचक थाना के भवन निर्माण हेतु निविदा अभी तक नहीं की गई है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि काशीचक थाना के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन कर ली गई है । प्रस्तावित स्थल का स्थल प्लान एवं प्राक्कलन आदि तैयार किया जा रहा है और इसकी स्वीकृति के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री प्रदीप कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में थाना भवन, काशीचक का निर्माण शुरू होगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए लगभग 1.66 एकड़ जमीन उपलब्ध हो चुका है और इसका प्लैन तैयार किया जा रहा है और सरकार निदेश देगी कि निविदा आदि की आवश्यक प्रकिया पूरी करके इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जाए ।

तारांकित प्रश्न सं0:13 (श्री मंजीत कुमार सिंह)

श्रीमती रंजू गीता, मंत्री: महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के तहत कुल रूपए 30,87,50,000 मात्र आवंटित किया गया जिसके विरूद्ध 27,55,92,474रूपए व्यय हुई है जो कुल आबंटन का 89.26 परसेंट है । कुल प्रत्यर्पित राशि 3,31,57,526 रूपए है । सामान्यत: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्णान्कित राशि के तहत गन्ने की खेती करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसान नहीं रहने के फलस्वरूप उक्त राशि प्रत्यर्पित की गई है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ...

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री ने जवाब दिया है इसके बाद भी आप जानना चाहते हैं !

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं...

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट तौर पर इन्होंने जवाब दिया है, उसके बाद भी जानना चाहते हैं ?

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर स्वीकारात्मक कहा है और ३ करोड़ समथिंग लाख रूपये के प्रत्यर्पण की बात स्वीकार की है और माननीया मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अन्तर्गत गन्ना प्रमाणित बीज के लिए १७ प्रतिशत राशि जो इस बजट में आवंटित किये गये थे, उसमें गन्ना सर्वेक्षण नीति, २०१३ के तहत राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति जनजाति गन्ना किसानों का सरकार अलग से सर्वेक्षण करायेगी और उसके लिए सर्वेक्षित किसानों के लिये कैम्प आयोजित की जायेगी, कैम्प आयोजन में अनुसूचित जाति जनजाति के गन्ना किसानों को यह बीज उपलब्ध करायी जायेगी ।

क्या सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों का सर्वेक्षण कराया, क्या कैम्प आयोजित करके उनके बीच यह राशि वितरण करने का काम किया है ? अगर सरकार ने सर्वेक्षण कराया तो अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों की सर्वेक्षित संख्या क्या है और उनके बीच राशि उपलब्धता के बाद भी सरकार ने बीज का वितरण क्यों नहीं किया ?

श्रीमती रंजू गीता, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य खुद गन्ना क्षेत्र से आते हैं और उन्हें पूरी तरह जानकारी है कि गन्ना किसानों के खेतों का जो सर्वेक्षण कराया जाता है, वह जातिगत करके नहीं कराया जाता है और वह सर्वेक्षण सिर्फ गन्ना किसानों के जो खेत हैं, उसका कराया गया है और इस साल २०१३-१४ में भी कराया जा रहा है और वह सर्वेक्षण अभी सम्पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया गया है और माननीय सदस्य को पता है कि जातिगत सर्वेक्षण नहीं किया जाता है ।

इसलिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहती हूं कि इस तरह का जो गन्ना अधिनियम, १९८१ के प्रावधानों के अन्तर्गत गन्ना संयुक्त सर्वेक्षण कराया गया है, वह जातिगत नहीं है । विभाग द्वारा चालू वर्ष में प्रगतिशील भूधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित कृषकों को समय पर पहचान करवा कर उसमें योजना का लाभ मुहैया कराने का काम मैं करूंगी । मैं अपने स्तर से धन्यवाद देती हूं माननीय सदस्य को, जिन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित की बात, किसानों के हित की बात उन्होंने आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लायी है । मैं अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे चुकी हूं कि इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों के खेतों का सर्वेक्षण कराकर और कैम्प लगाकर उन्हें उन योजनाओं से लाभान्वित कराने का काम करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । आपके प्रश्नों का जवाब माननीया मंत्री ने बहुत ही सकारात्मक दिया है ।

श्रीमती रेणु देवी : माननीया मंत्री जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं माननीया मंत्रीजी से कि इन्होंने इस वर्ष के बारे में कहा कि मैं अपने पदाधिकारी

को निर्देश दूंगी लेकिन इसके पहले क्या हुआ ? इसके पहले जो पैसा गया है, जिसमें कहते हैं कि ३ करोड़ राशि प्रत्यर्पण किया गया, अच्छे-अच्छे किसान हैं जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य जाति में आते हैं, जो गन्ने का प्रभेद भी होता है, उसमें आखिर क्या हुआ, पहले का क्या हुआ, वह पैसा गया कहाँ ? इस साल के पहले वाला पैसा कहाँ गया ? उसका जवाब मंत्री जी दें ।

अध्यक्ष : रेणु जी, माननीया मंत्री ने बड़े ही गम्भीरता से सभी बिन्दुओं पर जवाब दिया है.....

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, विषय बहुत गम्भीर है । विषय केवल ३ करोड़ रूपया खर्च नहीं हुआ, इसका नहीं है महोदय । अगर यह विषय होता तो मैं प्रश्न नहीं करता । विषय यह है कि जब हम साथ में सरकार में थे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था कि सभी विभागों के अन्दर एक निश्चित राशि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिये खर्च किया जायेगा और इस योजना में भी महोदय, निश्चित राशि खर्च करना था अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के ऊपर, जो गन्ना की खेती करते हैं । जब राशि का आवंटन है तो अनुसूचित जाति जनजाति के किसान खोजे क्यों नहीं गये ? क्या सरकार यह कहना चाहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं ही नहीं, अगर सरकार यह कहे कि हाँ, पिछले वित्तीय वर्ष में कोई किसान नहीं था तब तो हम बात स्वीकार कर लेते । लेकिन अगर किसान थे अनुसूचित जाति जनजाति के तो फिर उनके लिये जो आवंटित पैसा था, उनके बीच में क्यों नहीं वितरित किया गया ? इसका जवाब सरकार को देना चाहिये ।

श्री अजीत कुमार : महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है । महोदय, गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत....

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाया जाय । महोदय, अनुसूचित जाति के व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री हैं और इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनके राज में एक साल में अगर अनुसूचित जाति जनजाति का पैसा खर्च नहीं हुआ तो मैं चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति से आये हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मन में प्रेम है अनुसूचित जाति के लिये, वे कृपया इसके बारे में स्पष्ट करें कि क्यों यह स्थिति पैदा हुई?

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिले की चर्चा माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में किया है । महोदय, ६० लाख रूपया गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत बीज के लिये मुजफ्फरपुर जिला को आवंटित था । उस ६० लाख रूपये में ४८ लाख रूपया वहाँ खर्च हुआ ? महोदय, ४८ लाख रूपये का लूटपाट हुआ है । महोदय, मेरे यहाँ दो प्रजनन केन्द्र है - एक मोतीपुर और एक पूसा है, इन दोनों के माध्यम से किसानों को बीज लेना था और उसपर सबसिडी देने की बात थी । सहायक ईख आयुक्त ने क्या किया कि खनसारी के माध्यम से यह टोटल पैसा फर्जी किसानों के बीच बाँट दिया है ४८ लाख रूपया ।

हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जो राशि वितरित की गई है, गलत लोगों के बीच वह राशि गयी है । क्या किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जाँच करा सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार : मेरे क्षेत्र का मामला है, महोदय काँटी का ।

अध्यक्ष : आप इसको अलग से ले आइये ।

श्री अजीत कुमार : महोदय, जाँच तो करवा दीजिये । किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच तो करवा दीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, अनुसूचित जाति के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सदन के अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति का हक मारा जा रहा है, एक साल में मारा गया है, इस सवाल पर सरकार को जवाब देना चाहिये ।

महोदय, मैंने पूरक प्रश्न किया है । या तो आप सवाल को स्थगित करिये, मंत्री तैयारी करके आयें और इन सवालों का जवाब दें । महोदय, ऐसे नहीं हो सकता है । अनुसूचित जाति के हक को मारने की कोशिश की जायेगी जदयू की सरकार के द्वारा, यह बर्दाश्त के बाहर है । इस प्रश्न को स्थगित करिये, आप यह प्रश्न स्थगित करिये और इस प्रश्न का जवाब लेकर माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जवाब दें तब महोदय, बात आगे बढ़ सकती है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री महोदया ने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा है कि उसका सर्वेक्षण कराने के लिये उन्होंने आदेश दिया है ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, मेरा सवाल वह नहीं है । महोदय, या तो अगर बिना सर्वेक्षण किये हुये पैसे का आवंटन हो रहा है तो वह गलत है, कहे सरकार कि हाँ, वह गलत है लेकिन अगर आवंटन हुआ है और उस वर्ग के लोग हैं तो उनको पैसा क्यों नहीं मिला ? महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है । पूरे बिहार के अन्दर बड़े पैमाने पर जो हमारे १६ परसेंट अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका हम कल्याण करना चाहते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिये बजट में आवंटन करते हैं लेकिन वह पैसा उनपर खर्च नहीं हो रहा है, यह गम्भीर बात है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं के अनुकूल.....

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : आप स्थगित करिये क्वेश्चन, प्रश्न स्थगित करिये ।

श्री जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जिन बातों की चर्चा की है, स्पष्ट है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जो सब डेवलपमेंट प्लान है, उसके तहत योजना की जो १६ प्रतिशत राशि है, हर विभाग में कर्णांकित की गई है और उसका अलग हेड खोला गया है ।

इस प्रश्न के अन्तर्गत जो बातें आई हैं कि ३,३१,५७,५२६ रू० का प्रत्यर्पण किया गया है, हम इस बात की जाँच करवा लेते हैं । अगर कोई इसमें दोषी हैं कि बिना कोई कारण के इसको प्रत्यार्पित किये हैं तो उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या - १४ (श्री रामायण मांझी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामायण मांझी । माननीय सदस्य श्री रामायण मांझी ।

[इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रामायण मांझी द्वारा प्रश्न पूछा नहीं जा सका ।]